प्रकरण संख्या 58/2021 श्रीमती मनी बेन बनाम नन्दलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटिया में आराजी नंबर 682, 683, 758, 748, 823 कुल किता 5 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है, जो मौरूसी होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य की है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार पक्षकारान का सजरा होकर मूल पुरूष नाथू जी थे। नाथू जी प्रतिवादी संख्या 1 होकर उनके 2 पत्नियां हकरीबाई व लीलाबाई थी। हकरी के 1 पुत्री शान्ता हुई, जिसके वारिस वादीगण है तथा लीलाबाई के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 30–40 वर्ष पूर्व ही वाद वर्णित भूमि अपनी प्रथम पत्नी हकरीबाई को सुपुर्द कर दी थी, जिस पर आज भी कब्जा हकरीबाई के वारिसान वादीगण का चला आ रहा है, किन्तु भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने से वादीगण उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.06.2014 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 29.06.2021 को निर्णय की जानकारी होते ही तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। अखण्डित शपथ पत्र, वर्णित कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 58/2021 श्रीमती मनी बेन बनाम नन्दलाल

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2013 को अपीलान्ट को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया, परन्तु उक्त सम्मन अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, इस कारण अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सके। वादग्रस्त भूमि नाथू जी की स्वअर्जित होने से उनके जीवनकाल में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को वाद लाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस कानूनी बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करते हुए वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.09.2013 अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 4 अर्थात हाल अपीलान्टगण को रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये, किन्तु उक्त सम्मन अपीलान्टगण को प्राप्त नहीं हुए इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने 10 दिनों के भीतर ही दिनांक 01.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 अर्थात हाल अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दे दिये, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद एकपक्षीय डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2014 को अपास्त किया जाता है और पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:48:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर